"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई 2013—आषाढ़ 14, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जून 2013

क्रमांक एफ 4-4/2012/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ चन्द्राकर, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 08-04-2013 से 12-04-2013 (05 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति तथा अवकाश पूर्व दिनांक 07-04-2013 एवं अवकाश पश्चात् दिनांक 13 एवं 14-04-2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, उप सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 मई 2013

क्रमांक एफ 9-65/2012/तक.शि./42.— छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर की सेवा में भरती से संबंधित निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम :—**
   इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल सेवा भरती नियम, 2012" है तथा ये नियम जारी होने की तिथि से लागू होंगे।

2. **परिभाषायें :—**
   इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—
   (क) "मण्डल" से अभिप्रेत है, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर।
   (ख) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन।
   (ग) उन पदों को छोड़कर, जिन पर नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है, सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, मण्डल या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत सक्षम अधिकारी।
   (घ) "समिति" से अभिप्रेत है, विभागीय पदोन्नति/चयन समिति।
   (ड.) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, मण्डल में कार्यरत अध्यक्ष।
   (च) "नियंत्रक" से अभिप्रेत है, मण्डल में कार्यरत नियंत्रक।
   (छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों के साथ संलग्न सूची।
   (ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ-85-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 में उल्लेखित जातियों के सदस्य (क्रीमीलेयर को छोड़कर) और जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित किया जाये।
   (झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति।
   (य) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति।
   (र) "सेवा" से अभिप्रेत है, छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल सेवा।
   (ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति :—**
   छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन :—**
   सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—
   (1) इन नियमों को लागू करते समय अनुसूची-एक (क) एवं अनुसूची-एक (ख) में उल्लेखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति।
   (2) इन नियमों को लागू होने से पूर्व सेवा में भरती किये गये व्यक्ति।
   (3) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भरती किये गये व्यक्ति।

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि :—

सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या इससे संलग्न अनुसूची–एक (क) एवं अनुसूची–एक (ख) में दिये गये उपबंधों के अनुसार होगी। परन्तु मण्डल, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय–समय पर स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. भरती का तरीका :–

(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :–

(क) चयन द्वारा सीधी भरती कर के,

(ख) सेवा के सदस्यों (अनुसूची–चार के कालम 2 में दिये अनुसार) की पदोन्नति द्वारा,

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जो ऐसी सेवा में ऐसे पद जो इस संबंध में विनिर्दिष्ट किये जायें, मूल हैसियत से धारण कर रहे हों।

(घ) शासन से प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पुनर्नियुक्ति द्वारा,

(2) उप नियम (1) के खण्ड (ख) अथवा (ग) के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक (क) एवं अनुसूची–एक (ख) में यथाविनिर्दिष्ट कर्त्तव्य पदों की संख्या, अनुसूची –दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी यदि नियंत्रक की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुये ऐसा करना अपेक्षित हो तो अध्यक्ष की पूर्व सहमति से उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भरती के उन तरीकों से भिन्न ऐसे तरीकों को, जिन्हें इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित किया जाये, अपनाया जा सकेगा।

(4) प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों का संविलियन शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत किया जा सकेगा।

7. सेवा में नियुक्ति :–

इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां मण्डल अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही दी जायेगी, अन्यथा नहीं।

8. सीधी भरती के लिये पात्रता की शर्तें :–

चयन किये जाने के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :–

(1) आयु :–

(क) उसने चयन प्रारम्भ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची–3 के कालम (4) में विनिर्दिष्ट की गयी आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट की गयी आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर में आने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक छूट दी जायेगी।

(ग) महिला उम्मीदवारों को सेवा में प्रथम नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट रहेगी।

(घ) विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा महिला उम्मीदवार को सेवा में प्रथम नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट रहेगी।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारकों के मामलों में अधिकतम आयु में 02 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(छ) अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पार्टनरों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ज) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(झ) विकलांग उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी। यह छूट जिला चिकित्सा मण्डल अथवा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित विकलांगों के उद्यमी पुनर्वास केन्द्र, द्वारा प्रमाणित विकलांग प्रत्याशी को ही दी जायेगी।

(ट) ऐसे उम्मीदवारों को जो शासकीय कर्मचारी हों या रह चुके हों, अधिकतम आयु सीमा में नीचे लिखे उल्लेखित शर्तों के अध्यधीन तथा सीमा तक छूट दी जायेगी :–

(i) ऐसे उम्मीदवार की आयु, जो शासन का स्थायी या अस्थाई सेवक हो, 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ii) उपर्युक्त आयु सीमा की छूट ऐसे उम्मीदवार के लिये भी स्वीकार्य होगी जो आकस्मिकता निधि में वेतन पाने वाला कर्मचारी हो या कार्यभारित कर्मचारी हो या जो शासन द्वारा हाथ में ली गयी किसी परियोजना में नियोजित किया गया हो।

(iii) ऐसे उममीद्वार को जो छंटनी किया गया शासकीय/मण्डल का कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की अवधि मले ही वह अवधि एक से अधिक बार में की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हों।

स्पष्टीकरण :—

शब्द "छंटनी किये गये शासकीय कर्मचारी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो शासन की अथवा किसी भी संघटक इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 06 माह तक निरंतर रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(iv) राज्य में मण्डल का कार्य अधिसूचना क्रमांक एफ 1–51/2004/42 रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2005 के अनुसार प्रारम्भ हो गया था। मण्डल द्वारा विभिन्न पदों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया तथा अभी भी निरंतरित रूप से किया जा रहा है। मण्डल का यह कार्य अतिमहत्वपूर्ण एवं गोपनीय प्रकृति का है। स्वामाविक रूप से इसके लिये विश्वसनीय कर्मचारियों की तात्कालिक आवश्यकता थी। मण्डल के अध्यक्ष द्वारा तात्कालिक रूप से नियुक्तियाँ की गई। ऐसे नियुक्त कर्मचारी ही मण्डल के समस्त कार्यो का सम्पादन कर रहे है। इन कार्यरत कर्मचारियों को आयुसीमा में छूट दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार आवश्यक है। अतः मण्डल के ऐसे समस्त कर्मचारियों को मण्डल से जारी सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर उनके द्वारा की गई सेवा अवधि की छूट अधिकतम आयु सीमा में दी जायेगी। बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हों। यह छुट केवल प्रथम चयन के समय ही प्राप्त होगी।

(v) ऐसे उम्मीदवार को जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :—

शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 06 माह की अवधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप अथवा कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छंटनी की गयी हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित कर दिया गया हो :—

(i) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे समय पूर्व निवृत्ति रियायतों (ऑरटरिंग आउट कंसेशन) के अधीन सेवामुक्त कर दिया गया हो,
(ii) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे दुबारा भरती किया गया हो तथा (क) अल्पकालीन नियोजन पूर्ण होने, (ख) भरती की शर्ते पूर्ण कर देने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो,
(iii) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी,
(iv) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवामुक्त किया गया हो जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल हैं,
(v) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 06 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो
(vi) ऐसे सैनिक जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों,
(vii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे,
(viii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(2) शैक्षणिक अर्हताएं:—
उसके पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जो अनूसूची–तीन में दर्शायी गयी है, परन्तु—

(क) मंडल आपवादिक मामलों में, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्हित मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित की गयी अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जिसके कारण मंडल की राय में, अभ्यर्थी का चयन न्यायोचित हो, और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों के भी जो अन्यथा अर्हित हों किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हैं, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त न हो, चयन पर मंडल के विवेकानुसार विचार किया जा सकेगा ।

(3) फीसः–

उसे विहित की गयी फीस का संदाय करना होगा ।

9. निर्हताः–

अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास पर उसे, चयन के लिए निरर्हित ठहराया जा सकेगा ।

10. [illegible] का विनिश्चय अंतिम होगा :–

अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में [illegible] में मंडल का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में [illegible] अभ्यर्थी का, जिसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया हो, साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

11. चयन द्वारा सीधी भरती :–

(1) सेवा में भरती के लिए चयन ऐसे अन्तरालों से होगा, जिन्हें कि मंडल समय–समय पर अवधारित करें।

(2) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा या साक्षात्कार अथवा दोनों के पश्चात् किया जायेगा, जैसा कि समय–समय पर अवधारित किया जाये ।

(3) सीधी भरती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से उन अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखें जायेंगे जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम – 1994) (क्रमांक 21 सन् 1994) के प्रावधानों और राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनूसूचित जातियां, अनूसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्गो के सदस्यों के लिये आरक्षित किये गये है ।

(क) छ.ग. सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 में किये गये प्रावधान के अनुसार इन पदों अर्थात अनूसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग के लिये आरक्षित पदों तथा सामान्य श्रेणी के अनारक्षित पदों पर महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रभागवार 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी–3–2/97/3/1 दिनांक 18 फरवरी 97 के अनुसार समस्तर प्रभागवार (होरीजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाईज) के अनुसार चयन के लिये प्रतिस्पर्धा इस कोटे में आने की पात्रता रखने वाली महिला अभ्यर्थियों के मध्य होगी और चयनित महिला अभ्यर्थी का चयन सूची में स्थान उसके प्रवर्ग के लिये आरक्षित वर्ग में आवश्यक समायोजन कर किया जायेगा ।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान कुछ भी क्यों न हो ।

(5) यदि चयन प्रक्रिया में किसी भी आरक्षित प्रवर्ग अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में 30 प्रतिशत महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते है तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिए अग्रणित (कैरीफारवर्ड) नहीं किये जायेंगे और ऐसे रिक्त पद को दूसरे आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग की महिला से भी नहीं भरा जायेगा। ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस प्रवर्ग के लिये वह आरक्षित है।

12. अभ्यर्थियों की चयन सूची :–

(1) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हैं,

(2) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं होता है जब तक कि नियुक्ति प्राधिकर्ता का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि आवश्यक समझी जाये, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है,

(3) चयन सूची, जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगी ।

13. पदोन्निति द्वारा नियुक्तिः–

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए चयन करने हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा. जिसमें अनूसूची–चार में वर्णित सदस्य होंगे । इस प्रकार गठित की जाने वाली समिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति / अनूसूचित जनजाति का भी सम्मिलित किया जायेगा । प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं है। इसलिए उक्त समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

(2) समिति सामान्यतः एक वर्ष से अनाधिक के अंतरालों में अपनी बैठक करेगी ।

(3) ऐसे पदों पर, जिनमें पदोन्निति की प्रतिशतता अनूसूची–दो में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार 25 प्रतिशत या उससे अधिक है, पदोन्निति के लिए भरे जाने वाले पदों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 4–4/2003/1–3 दिनांक 20.11.2012 के अनुसार तैयार किए गए मॉडल रोस्टर के अनुपालन में 12 प्रतिशत तथा 32 प्रतिशत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पदों पर तथा 12 प्रतिशत और 32 प्रतिशत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेगा, जो नियम 14 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र हो, परन्तुः
(i) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के केवल उन व्यक्तियों की पदोन्नति के संबंध में विचार किया जाएगा, जो अपनी वरिष्ठता के आधार पर निम्नलिखित नियम 14 के उप नियम (2) के अनुसार निर्धारित विचार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हो, तथा उसके उप नियम (1) के अधीन पदोन्नति के पात्र हो,
(ii) जो आरक्षित पद भरती नियमों के अनुसार पात्रता रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नामों पर विचार कर लेने के बाद भी उस प्रवर्ग के सेवक जिनके लिये पद आरक्षित है, उपलब्ध न होने के कारण भरे जाने से रह जायें तो ऐसे रिक्त पदों को 3 वर्षो तक अग्रणित (कैरीफारवर्ड) किया जायेगा । यदि 3 वर्ष अग्रणित होने के बाद भी इस आरक्षित प्रवर्ग का उपयुक्त सेवक ऐसे आरक्षित पद पर उपलब्ध न हो सके तो ऐसे आरक्षित पद को दूसरे आरक्षित वर्ग के व्यक्ति जिसके लिए आरक्षण किया गया, की पदोन्नति कर भरा जायेगा । अर्थात यदि अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित पद रिक्त रह जाता है तो उस पद को अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति कर भरा जायेगा और इसी प्रकार यदि अनूसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद रिक्त रह जाता है तो उस पद को अनुसूचित जाति के वर्ग के व्यक्ति की पदोन्नति से भरा जायेगा। उपरोक्तानुसार पारस्परिक अन्तरण के बाद भी आरक्षित पद नहीं भरा जा सके तो ऐसे पद को सामान्य वर्ग के सेवक की पदोन्नति कर भरा जायेगा ।

(4) पदोन्नति हेतु आधार का निर्धारण :–
(i) चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति " वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता" के आधार पर होगी ।
(ii) प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति "योग्यता–सह–वरिष्ठता" के आधार पर होगी । इसमें आरक्षण प्रभावशील नहीं रहेगा।

14. पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें:–
(1) उप नियम (2) के उपबंधो के अधीन रहते हुए समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर जिनसे कि पदोन्नति की जानी है, उतने वर्ष की सेवा (चाहे स्थानापन्न या मौलिक रूप में) जितनी की अनुसूची चार के कालम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूरी कर ली हो, और जो उप नियम (2) के उपबंधो के अनुसार विचार क्षेत्र में आते हो,

परन्तु यह और भी कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति की, उससे ज्येष्ठ व्यक्ति पर अधिमानता देकर चयन श्रेणी में पदोन्नति पर विचार इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि उसने विहित वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है ।

(2) चयन के लिए विचारार्थ क्षेत्र " योग्यता–सह–वरिष्ठता" के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या 1, 2 एवं 3 रिक्त पदों के लिए अधिकतम क्रमशः 5, 8 एवं 10 रहेगी और इसी प्रकार आगे गणना के लिए फार्मूला यह रहेगा कि संभावित रिक्तियों को दुगना कर उसमें 4 जोड़ा जाए। जब वांछित संख्या में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ऊपर दर्शाये अनुसार सामान्य विचारण क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हो सके तो रिक्तियों की संख्या के सात गुने तक विचार क्षेत्र बढ़ाया जाए और इस विस्तारित विचार क्षेत्र में आने वाले केवल अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार (किसी अन्य वर्ग के नहीं) के नामों पर आरक्षित पदों को भरने के लिए विचार किया जाये ।

ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति " वरिष्ठता–सह–योग्यता" अथवा जिनमें पदोन्नति अनुपयुक्त व्यक्ति को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो वहां सभी वर्गों के लिए कोई भी विचारण क्षेत्र नहीं होगा । केवल उतनी ही संख्या में कर्मचारियों के प्रकरणों पर वरिष्ठता क्रम से विचार किया जाना होगा

जितनों पर विचार करने से आगामी एक वर्ष में प्रत्येक वर्ग के लिए उपलब्ध होने वाली रिक्तियों को भरने लायक उपयुक्त संख्या में नाम मिल जायें ।

15. उपयुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों की सूची तैयार करना :–

(1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो ऊपर नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानांतरण के लिए उपयुक्त ठहराये गए हों । यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी। उक्त सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची भी पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जाएगी ।

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए चयन, ज्येष्ठता का सम्यक ध्यान रखते हुए सभी दृष्टि से योग्यता तथा उपयुक्तता पर आधारित होगा ।

(3) ऐसी प्रत्येक चयन सूची को तैयार करते समय सूची में सम्मिलित किए गए कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम अनुसूची–चार के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट पदों या सेवा में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे,

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ कर्मचारी/अधिकारी को, जो समिति की राय में असाधारण योग्यता और उपयुक्तता रखता हो, उससे ज्येष्ठ कर्मचारियों/अधिकारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण:–

ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियो के ऊपर, जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा ।

(4) इस प्रकार तैयार की गयी सूची का पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण प्रतिवर्ष किया जाएगा ।

(5) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान मंडल की सेवा में किसी सदस्य का अधिक्रमण करना प्रस्तावित हो तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को अभिलिखित करेगी ।

16. चयन सूची:–

(1) नियुक्ति प्रधिकारी द्वारा अंतिम रूप में यथा–अनुमोदित सूची, अनुसूची–चार के कालम (2) में दर्शाए पदों से, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति करने के लिए चयन सूची होगी ।

(2) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता, किन्तु उसकी विधि–मान्यता उसके तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से परे बढ़ाई नहीं जाएगी,

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के पालन में गंभीर चूक होने की दशा में चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी ।

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :–

चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति सेवा संवर्ग के पदों पर उसी क्रम से की जाएगी जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम चयन सूची में आए हों,

परन्तु जहां प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं हो या जो चयन सूची में ठीक अगले क्रम में न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि यह समाधान हो जाए कि रिक्ति के तीन मास से अधिक समय तक चालू रहने की संभावना नहीं है ।

18. परिवीक्षा :–

सेवा में सीधी भरती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा ।

19. छूट :–

इन नियमों में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यह ऐसे किसी व्यक्ति [illegible] जिसे ये नियम लागू होते हों, ऐसी रिति में जो उसे न्यायसंगत और साम्यपूर्ण प्रतीत होती हो [illegible] मंडल की शक्ति को सीमित या कम करती है,

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो ।

20. व्यावृत्ति :—
इन नियमों की कोई भी बात पिछड़े वर्गों (क्रीमीलेयर को छोड़कर), अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी । साथ ही राज्य शासन द्वारा भरती नियमों के संबंध में समय—समय पर कोई सामान्य निर्देश अथवा आदेश जारी किये जाते है, तो वे भी लागू होंगे ।

21. निरसन तथा व्यावृत्ति :—
इन नियमों के तद्स्थानी तथा इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों में एतद् द्वारा निरस्त किये जाते है,
परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन जारी किए गए किसी आदेश या की गई कार्यवाही के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन किया गया है, या की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

अनुसूची— एक (क)
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	छठवां वेतनमान ब्रैंड वेतन	ग्रेड वेतन
1.	अध्यक्ष	1	प्रथम श्रेणी	अखिल भारतीय सेवा की संवर्गीय वेतनमान	
2.	नियंत्रक	1	प्रथम श्रेणी	37400—67000 प्रतिनियुक्ति	10000
3.	संयुक्त नियंत्रक	1	प्रथम श्रेणी	15600—39100 प्रतिनियुक्ति	7600
4.	वित्त अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	15600—39100 प्रतिनियुक्ति	7600
5.	सहायक नियंत्रक	2	द्वितीय श्रेणी	15600—39100 विभागीय / प्रतिनियुक्ति	5400
6.	प्रोग्रामर	1	द्वितीय श्रेणी	15600—39100 विभागीय / प्रतिनियुक्ति	5400

अनुसूची-एक (ख)
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	छठवां वेतनमान	
				बैंड वेतन	ग्रेड वेतन
1.	अधीक्षक	1	तृतीय श्रेणी	रू. 9300–34800	4400
2.	सहायक अधीक्षक	1	तृतीय श्रेणी	रू. 9300–34800	4300
3.	निज सहायक	2	तृतीय श्रेणी	रू. 9300–34800	4300
4.	शीघ्रलेखक	2	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200	2800
5.	सहायक वर्ग–1	2	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200	2800
6.	सहायक वर्ग–2	4	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200	2400
7.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	4	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200	2200
8.	सहायक वर्ग–3	6	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200	1900
9.	वाहन चालक	2	तृतीय श्रेणी	रू. 5200–20200	1900
10.	दफतरी	1	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4750–7440	1400
11.	भृत्य	6	चतुर्थ श्रेणी	रू. 4750–7440	1400
12.	चौकीदार	1	चतुर्थ श्रेणी	कलेक्टर दर	
13.	स्वीपर	1	चतुर्थ श्रेणी	अंश कालीन	

अनुसूची– दो
(नियम 6 (1) देखिये)

सेवा में सम्मिलित पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या/प्रतिशत			टिप्पणी
		नियम 6(1)(क) के अनुसार चयन द्वारा सीधी भरती	नियम 6(1)(ख) के अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	नियम 6(1)(ग) के अनुसार अन्य सेवा के व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. अध्यक्ष 1		—	—	100%	अखिल भारतीय सेवा के ऐसे सदस्यों के स्थानान्तरण द्वारा जो प्रमुख सचिव के पद अथवा उसके समतुल्य या उससे उच्च पद का हो राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।
2. नियंत्रक	1	—	—	100%	प्रतिनियुक्ति से महाविद्यालयों के प्राचार्य या इसके समकक्ष स्तर के अधिकारी जिन्हें परीक्षा कार्य का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव हो।
3. संयुक्त नियंत्रक	1	—	—	100%	प्रतिनियुक्ति से महाविद्यालयों के प्राध्यापक या इसके समकक्ष स्तर के अधिकारी जिन्हें परीक्षा कार्य का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव हो।
4. वित्त अधिकारी	1	—	—	100%	यह पद कोष एवं लेखा विभाग के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा।
5. सहायक नियंत्रक	2	—	50%	50%	पदोन्नति से योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर एक पद पर पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति से भरे जायेंगे।
6. अधीक्षक	1	—	100%	—	पदोन्नति में एक बार सहायक अधीक्षक से तथा दूसरी बार निज सहायक से (बारी–बारी से) भरे जायेंगे।

सेवा में सम्मिलित पद का नाम		कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या/प्रतिशत			
			नियम 6(1)(क) के अनुसार चयन द्वारा सीधी भरती	नियम 6(1)(ख) के अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	नियम 6(1)(ग) के अनुसार अन्य सेवा के व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा	टिप्पणी
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	सहायक अधीक्षक	1	—	100%	—	——तदैव——
8.	निज सहायक	2	—	100%	—	——तदैव——
9.	शीघ्रलेखक	2	100%	—	—	यदि सेवा के सदस्यों में से उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों तो चयन द्वारा सीधी भरती से अथवा अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति से।
10.	सहायक वर्ग–1	2	—	100%	—	योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर प्रतिनियुक्ति से पद भरा जायेगा ।
11.	सहायक वर्ग–2	4	—	100%	—	——तदैव——
12.	सहायक वर्ग–3	6	90%	10%	—	व्यापम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से जो विहित अर्हतायें पूरी करते हों और जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा की है, से 25%, पद पदोन्नति द्वारा ।
13.	प्रोग्रामर	1	—	100%	-	
14.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	4	100%	—	—	
15.	वाहन चालक	2	100%	—	—	
16.	दफतरी	1	—	100%	—	
17.	भृत्य	6	100%	—	—	
18.	चौकीदार	1	100%	—	—	
19.	स्वीपर	1	100%	—	—	

अनुसूची – तीन
(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में पद का नाम	आयु सीमा न्यूनतम	आयु सीमा अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हतायें एवं अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छ.ग.व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर	छ.ग.व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, की सेवा	(1) प्रोग्रामर	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त वि.वि. से प्रथम श्रेणी में एम.एस.सी. (कम्प्यूटर विज्ञान/भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक/गणित/सांख्यिकी/सूचना प्रौद्योगिकी)/एम.सी.ए. या समकक्ष। अथवा कम्पयूटर साइंस में किसी मान्यता प्राप्त वि.वि. से बी.ई./बी.टेक. की उपाधि या समकक्ष। अनुभवः– 1. साफ्टवेयर में विश्लेषण पद्धति, डाटा प्रोसेसिंग, डी बेस, फाक्स बेस, कोबोल सी ++ के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव हो। 2. ओ.एम.आर. मशीन पर रिजल्ट प्रोसेसिंग का कार्य का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव को अधिमान्यता।
		(2) शीघ्रलेखक	18 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त मंडल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 10+2 उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम उत्तीर्ण या भरती नियम के अनुसार निर्धारित योग्यता। 2. मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद से – (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए क्रमशः 100 शब्द तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन, (ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए क्रमशः 100 शब्द तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में अंग्रेजी टाईप लेखन, तथा (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए ऊपर खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अंग्रेजी तथा हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में टाईप लेखन 3. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री का 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति होना चाहिए।

(3) डाटा एन्ट्री आपरेटर	18 वर्ष 35 वर्ष	1. कक्षा 12 वीं(10+2) बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10 वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण, 2. डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति।
(4) सहायक वर्ग–3	18 वर्ष 35 वर्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिये 45 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा-एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र तथा, 3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति होना चाहिए।
(5) वाहन चालक	18 वर्ष 35 वर्ष	आठवीं पास। हल्के वाहन चलाने का वैध लायसेंस हो तथा इस कार्य का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो । वाहन मैकनिक का कार्य जानने वाले को अधिमान्यता दी जायेगी ।
(6) भृत्य	18 वर्ष 35 वर्ष	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण हो और सायकिल चलाना आना चाहिये ।
(7) चौकीदार	18 वर्ष 35 वर्ष	पांचवी कक्षा उत्तीर्ण हो तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त हो ।

अनुसूची – चार
(नियम 6, 13 एवं 14 देखिये)

संस्था का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	कालम (3) में दर्शाये गये पद पर पदोन्नति हेतु कालम (2) में दर्शाये गये पद का अपेक्षित अनुभव	पदोन्नति हेतु अपेक्षित अर्हता	विभागीय पदोन्नति/चयन समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छ.ग.व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर	अधीक्षक	सहायक नियंत्रक	पांच वर्ष	मान्यता प्राप्त वि.वि. से स्नातक उपाधि	अध्यक्ष द्वारा 3 नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे
	सहायक अधीक्षक/ निज सहायक	अधीक्षक	पांच वर्ष	—— तदैव——	नियंत्रक द्वारा 3 नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे
	शीघ्रलेखक	निज सहायक	तीन वर्ष	–	—— तदैव——.
	सहायक वर्ग–1	सहायक अधीक्षक	पांच वर्ष	—— तदैव——	—— तदैव——
	सहायक वर्ग–2	सहायक वर्ग–1	तीन वर्ष	—— तदैव——	—— तदैव——
	सहायक वर्ग–3	सहायक वर्ग–2	तीन वर्ष	–	—— तदैव——
	चतुर्थ श्रेणी भृत्य	दफतरी	पांच वर्ष	–	नियंत्रक द्वारा 3 नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 मई 2013

क्रमांक 1723/1786/21-ब/छ.ग./2013.—इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक 1043/21-ब/छ.ग./2013 दिनांक 05-02-2013 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :

संशोधन

उक्त आदेश दूसरा पैरा में "इसके अलावा उपरोक्त सभी विधि अधिकारियों को प्रतिमाह 80 लीटर पेट्रोल ईंधन भत्ता की पात्रता होगी" के स्थान पर "महाधिवक्ता को छोड़कर सभी विधि अधिकारी 80 लीटर पेट्रोल अथवा उसके कीमत के बराबर राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे" पढ़ा जावे.

यह सहमति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 244/2013-21-00037 वित्त विभाग/ब-3/2013 दिनांक 02-06-2013 द्वारा प्रदान की गई है.

Raipur, the 22nd June 2013

F. No. 5144/1575/21-B/C.G./2013.—In compliance of the order of Hon'ble High Court of Chhattisgarh in W.P. No. 1827/2004 Pawan Kumar Agrawal and another vs. Government of Chhattisgarh and others, dated 02-05-2012 and in the light of order of Hon'ble Supreme Court of India Passed in SLP (Civil) No. (S) 21673/2012 Government of Chhattisgarh Vs. Pawan Kumar Agrawal and others, dated 30-11-2012, the State Government, in exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, and on the recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri Pawan Kumar Agrawal S/o Late Shri Tarachand Agrawal (Category-UR) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in Junior Pay Scale of 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

Raipur, the 22nd June 2013

F. No. 5146/1575/21-B/C.G./2013.—In compliance of the order of Hon'ble High Court of Chhattisgarh in W.P. No. 1827/2004 Pawan Kumar Agrawal and another vs. Government of Chhattisgarh and others, dated 02-05-2012 and in the light of order of Hon'ble Supreme Court of India Passed in SLP (Civil) No. (S) 21673/2012 Government of Chhattisgarh Vs. Pawan Kumar Agrawal and others, dated 30-11-2012, the State Government, in exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, and on the recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints Shri Pankaj Dixit S/o Shri Nand Dulare Dixit (Category-UR) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in Junior Pay Scale of 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SAMANTRAY, Principal Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 20 जून 2013

क्रमांक 5055/943/21-ब/छ.ग./2013.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त श्री सुदर्शन महलवार, अधिवक्ता, दुर्ग जिला-दुर्ग को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग, जिला-दुर्ग के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनको परिवीक्षा अवधि समाप्ति दिनांक 07-11-2011 से पुनः 03 वर्ष के लिये लोक अभियोजक दुर्ग, जिला-दुर्ग नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगा. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 20 जून 2013

क्रमांक 5057/943/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त श्री सुदर्शन महलवार, अधिवक्ता, दुर्ग जिला-दुर्ग को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग, जिला-दुर्ग के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति दिनांक 07-11-2011 से पुनः 03 वर्ष के लिये शासकीय अभिभाषक दुर्ग, जिला-दुर्ग नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगा. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2013

क्रमांक 5103/1694/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री विद्यावारिधि मैत्री, अधिवक्ता, सारंगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को अपर जिला न्यायालय सारंगढ़ के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर अतिरिक्त लोक अभियोजक सारंगढ़ जिला-रायगढ़ नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2013

क्रमांक 5105/1694/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री विद्यावारिधि मैत्री, अधिवक्ता, सारंगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को अपर जिला न्यायालय सारंगढ़ के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक सारंगढ़ जिला-रायगढ़ नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 जून 2013

क्रमांक/एफ 3-5/2004/25-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम-1995 अध्याय-2 की कंडिका-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए माननीय श्री देवलाल दुग्गा, पूर्व विधायक, भानुप्रतापपुर जिला कांकेर को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

2. इनकी कार्य अवधि तीन वर्ष होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2013

क्रमांक/एफ 19-10/2013/25-2.—यत: छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 2 के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (दो) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक 5882/2614/आजावि/2002, दिनांक 24-12-2002 जारी की गई थी,

यत: उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (दो) को, मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001 के द्वारा अंत:स्थापित किया गया था तथा इस तरह उक्त संशोधन छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त नहीं था,

यत: उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) के अधीन मात्र केन्द्र सरकार ही छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 के प्रयोजन के लिए किसी समुदाय की "अल्पसंख्यक" प्रास्थिति के संबंध में अधिसूचना जारी करने हेतु सशक्त है,

अतएव छत्तीसगढ़ शासन, एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक 5882/2614/आजावि/2002, जारी दिनांक 24-12-2002 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहृत करता है और यह भी स्पष्ट करता है कि इसे ऐसा समझा जायेगा, जैसे कि उक्त अधिसूचना कभी भी अस्तित्व में नहीं थी.

No. F-19-10/2013/25-2.—Whereas, Notification No. 5882/2614/TWD/2002, dated 24-12-2002 was issued by the State Government, exercising power under sub-clause (ii) of clause (c) of Section 2 of the Chhattisgarh Rajya Alpsankhyak Ayog Adhiniyam, 1996 (No. 15 of 1996)

Whereas, sub-clause (ii) of clause (c) of Section 2 of the said Adhiniyam was inserted by the Madhya Pradesh Rajya Alpsankhyak Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 and as such the said Amendment was not in force in the State of Chhattisgarh.

Whereas, under clause (c) of Section 2 of the said Adhiniyam only Central Government is empowered to issue notification regarding "Minority" status of any community for the purpose of the Chhattisgarh Rajya Alpsankhyak Ayog Adhiniyam, 1996.

Now therefore, the Government of Chhattisgarh, hereby, withdraws the Notification No. 5882/2614/TWD/2002 issued on 24-12-2002 with immediate effect and also clarifies that it shall be deemed as such that the said notification had never been in exercise.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 जून 2013

क्रमांक एफ 10-35/2010/16.—"भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01-12-2010 में निम्नानुसार संशोधान/विलोपित एवं नवीन प्रवर्ग अंत:स्थापित करता है.

(संशोधित प्रवर्ग का नाम)

बिंदु क्रमांक 02	राजमिस्त्री (मैसन) या ईटों पर रद्दा करने वाले
बिंदु क्रमांक 12	मजदूर से तात्पर्य (रेजा कुली)
बिंदु क्रमांक 27	चौकीदार एवं सिक्योरिटी गार्ड

(विलोपित प्रवर्ग का नाम)

बिंदु क्रमांक 18 विलोपित किया जाता है.

(नवीन प्रवर्ग का नाम)

नवीन बिंदु क्रमांक	नवीन अधिसूचित कर्मकार का नाम
42	निर्माण में अग्निशमन संयंत्र लगाने वाले श्रमिक
43	एसी फिटिंग करने वाले कर्मकार
44	ग्रिल निर्माण करने वाले कर्मकार
45	भवनों में कारपेंटर का काम करने वाले कर्मकार
46	लिफ्ट लगाने वाले रखरखाव करने वाले कर्मकार
47	सोलर पैनल निर्माण करने वाले कर्मकार
48	माड्यूलर किचन निर्माण करने वाले कर्मकार
49	पी.ओ.पी. का कार्य करने वाले कर्मकार
50	सेन्ट्रींग कर्मकार
51	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 20 जून 2013

क्रमांक एफ 1-39/2013/16.— छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ 52-48/तीन (एक)-18/पंचा/कार.अव./2012/660, दिनांक 05 जून, 2013 उल्लेखित संलग्न परिशिष्ट-एक एवं परिशिष्ट-दो अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए उप निर्वाचन वर्ष 2013 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम-1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत् उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 24 जून, 2013 (सोमवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित क्षेत्रों में अवकाश घोषित करता है.

2. ऐसे कारखानें जो सप्ताह में 07 दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किया जाता है, जो कारखानें निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

परिशिष्ट-एक

त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों की संशोधित जानकारी दिनांक 31 दिसम्बर 2012 की स्थिति में

संभाग-रायपुर एवं बस्तर (जगदलपुर)

क्र.	जिला	जिला पंचायत सदस्य	जनपद पंचायत सदस्य	सरपंच	पंच	कुल पदों का योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रायपुर	—	—	4	14	18

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	बलौदाबाजार	—	—	6	23	29
3.	गरियाबंद	1	1	3	12	17
4.	महासमुन्द	—	—	2	16	18
5.	धमतरी	—	—	7	17	24
6.	बेमेतरा	—	—	9	24	33
7.	दुर्ग	—	—	2	16	18
8.	बालोद	—	—	5	29	34
9.	राजनांदगांव	—	1	8	58	67
10.	कबीरधाम	—	—	3	14	17
11.	कोण्डागांव	—	—	6	9	15
12.	बस्तर	—	—	1	23	24
13.	नारायणपुर	—	—	1	1	2
14.	कांकेर	—	—	9	121	130
15.	दन्तेवाड़ा	—	1	1	3	5
16.	सुकमा	—	—	—	—	—
17.	बीजापुर	—	3	13	82	98
	योग	1	6	80	462	549

परिशिष्ट-दो

आम निर्वाचन 2013

सूची

क्र.	जिले का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1.	बलौदाबाजार	सिमगा	1. पौंसरी
			2. खड़ुवा
			3. दुलदुला
		बिलाईगढ़	1. टैढ़ीभदरा
2.	धमतरी	कुरूद	1. चर्रा
			2. चरमुड़िया
			3. नवांगांव
3.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	1. पनेका
			2. गठुला
4.	महासमुंद	पिथौरा	लाखागढ़

नया रायपुर, दिनांक 20 जून 2013

क्रमांक एफ 1-39/2013/16.— छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ 52-48/तीन (एक)-18/पंचा/कार.अव./2012/660, दिनांक 05 जून, 2013 अनुसार निम्नांकित नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2013 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम-1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत् उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 24 जून, 2013 (सोमवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित क्षेत्रों में अवकाश घोषित करता है :—

क्र. (1)	जिला (2)	नगरीय निकाय का नाम (3)
1.	महासमुंद	नगर पंचायत, बागबाहरा (अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन)
2.	बालोद	नगर पालिका परिषद्, दल्लीराजहरा के रिक्त वार्ड क्रमांक-6
		नगर पंचायत, चिखलाकसा के रिक्त वार्ड क्रमांक-1, 14 एवं 15
3.	बेमेतरा	नगर पंचायत, बेरला के रिक्त वार्ड क्रमांक-6
4.	कोण्डागांव	नगर पंचायत, केशकाल के (अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन)
5.	दंतेवाड़ा	नगर पंचायत, बारसुर के रिक्त वार्ड क्रमांक-10
6.	बीजापुर	नगर पंचायत, भैरमगढ़ के रिक्त वार्ड क्रमांक-4
7.	कांकेर	नगर पंचायत, चारामा के रिक्त वार्ड क्रमांक-3

2. ऐसे कारखाने जो सप्ताह में 07 दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किया जाता है, जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

परिशिष्ट-एक

क्र. (1)	जिला (2)	नगरीय निकाय का नाम (3)
1.	महासमुंद	नगर पंचायत, बागबाहरा (अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन)
2.	बालोद	नगर पालिका परिषद्, दल्लीराजहरा के रिक्त वार्ड क्रमांक-6
		नगर पंचायत, चिखलाकसा के रिक्त वार्ड क्रमांक-1, 14 एवं 15
3.	बेमेतरा	नगर पंचायत, बेरला के रिक्त वार्ड क्रमांक-6
4.	कोण्डागांव	नगर पंचायत, केशकाल (अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन)
5.	दंतेवाड़ा	नगर पंचायत, बारसुर के रिक्त वार्ड क्रमांक-10
6.	बीजापुर	नगर पंचायत, भैरमगढ़ के रिक्त वार्ड क्रमांक-4
7.	कांकेर	नगर पंचायत, चारामा के रिक्त वार्ड क्रमांक-3

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 जून 2013

क्रमांक एफ 7-35/2012/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 10-10-12 द्वारा विकास योजना दुर्ग-भिलाई भाग-1 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करतें हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

विकास योजना दुर्ग-भिलाई भाग-1 की स्वीकार्य उपयोग की सारणी क्रमांक-14-सा-5 में संशोधन प्रस्ताव

क्र.	सारणी का क्रमांक	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	सारणी के कालम-14-सा-5 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधियां जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	14-सा-5	कृषि	निम्न घनत्व आवासीय/वाणिज्यिक/सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण अधोसंरचना के प्रयोजन के लिए है.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा दुर्ग-भिलाई भाग-1 विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण दुर्ग-भिलाई भाग-1 विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

नया रायपुर, दिनांक 20 जून 2013

क्रमांक एफ 7-4/2013/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 26-2-2013 द्वारा जगदलपुर विकास योजना में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

जगदलपुर विकास योजना की स्वीकार्य उपयोग की सारणी क्रमांक-4-सा-26 में संशोधन प्रस्ताव

क्र.	सारणी का क्रमांक	भूमि उपयोग परिक्षेत्र	सारणी के कालम-4-सा-26 में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में निम्न गतिविधियां जोड़ा जाकर उपांतरण किया जाए
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	4-सा-26	कृषि	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
2.	4-सा-26	आवासीय	एकीकृत उपनगर, भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	4-सा-26	वाणिज्यिक सामान्य	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
4.	4-सा-26	वाणिज्यिक विशेषीकृत	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
5.	4-सा-26	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
6.	4-सा-26	औद्योगिक	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
7.	4-सा-26	आमोद-प्रमोद	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं
8.	4-सा-26	यातायात एवं परिवहन	भौतिक अधोसंरचना तथा सामाजिक सुविधाएं एवं सेवाएं

2. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

3. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा जगदलपुर विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण जगदलपुर विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/1571/अ.भू-अ.प्र./04/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	साल्हेखुर्द प. ह. नं. 01	0.06	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	साल्हे जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/1574/अ.भू-अ.प्र./07/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	अरसी प. ह. नं. 17	7.45	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग (छत्तीसगढ़)	तुमाखुर्द जलाशय के नहर निर्माण एवं डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/1577/अ.भू-अ.प्र./08/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	कुण्डेरा प. ह. नं. 41	0.08	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग दुर्ग (छत्तीसगढ़)	उतई कुण्डेरा पहुंच मार्ग सड़क निर्माण योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/1580/अ.भू.अ.प्र./09/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	भिभौरी प. ह. नं. 06	0.02	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग (छत्तीसगढ़)	देवरी भिभौरी एनीकट कम रपटा बाढ़ नियंत्रण योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 जून 2013

क्रमांक/438/1 अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	भोथली प. ह. नं. 04	0.39	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव, परि.क्रि.इ.क्र.-1, छ.ग. ग्रा.स.वि.अ., जिला-दुर्ग (छ.ग.)	अमलेश्वर से मगरघटा मार्ग का निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पाटन, जिला-दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 जून 2013

क्रमांक/441/5 अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	करेला प. ह. नं. 33	0.33	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	सुरपा व्यपवर्तन के अन्तर्गत डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पाटन, जिला-दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 जून 2013

क्रमांक/444/7 अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	ओदरागहन प. ह. नं. 41	0.31	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	सुरपा व्यपवर्तन के अन्तर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पाटन, जिला-दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 जून 2013

क्रमांक/447/6 अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	सुरपा प. ह. नं. 40	0.20	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	सुरपा व्यपवर्तन के अन्तर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पाटन, जिला-दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 जून 2013

क्रमांक/450/4 अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	बीजाभाठा प. ह. नं. 33	1.12	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	सुरपा व्यपवर्तन के अन्तर्गत डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पाटन, जिला-दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 22 जून 2013

क्रमांक/453/6 अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	खर्रा प. ह. नं. 25	1.12	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	भनसुली डायवर्सन के अन्तर्गत डुबान में अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पाटन, जिला-दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 25 जून 2013

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./11/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	धरमपुरा प.ह.नं. 54	302/32	280	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1, रायपुर.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 से माना विमानतल मार्ग निर्माण हेतु.
			302/36	140		
		योग	**02**	**420**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 जून 2013

क्रमांक 23/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सिलपहरी	2.455	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	कोनचरा सिलपहरी व्यपवर्तन योजना डुबान, पार एवं नहर क्रमांक-1 एवं 2 हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 जून 2013

क्रमांक 24/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	मानिकपुर	0.744	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	कोनचरा (सिलपहरी) व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 5 जून 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 60/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बघनपुर प. ह. नं. 37	1.862	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग रायगढ़.	धनागर-भूपदेवपुर मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 12 जून 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2010-2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	भेलवागुड़ी	0.10	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	बेन्द्रो सेतु पहुंच मार्ग के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 14 मई 2013

क्रमांक/3154/भू.अ.प्र.क्र./04/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-डौण्डी
- (ग) नगर/ग्राम-छिंदगांव, प.ह.नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.02 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	383	0.02
योग		0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दल्लीराजहरा रावघाट नई रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बालोद, दिनांक 14 मई 2013

क्रमांक/3156/भू.अ.प्र.क्र./07/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-डौण्डी
- (ग) नगर/ग्राम-अवारी, प.ह.नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.09 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	271/5	0.01
	271/9	0.01
	286/1	0.03
	286/2	0.02
	286/3	0.02
	287/1	0.01
	287/3	0.02
	287/4	0.02
	291/12	0.05
	291/13	0.04
	324/1	0.13
	324/2	0.09
	324/3	0.024
	326/1	0.10
	318/2	0.11
	318/3	0.05
	319	0.12
	320	0.17
	321	0.15
	325/2	0.17
	327/1	0.26
	328	0.06
	279	0.02
	325/1	0.01
	291/2	0.01
	291/3	0.05
	285/1	0.13
योग	27	2.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दल्लीराजहरा रावघाट नई रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बालोद, दिनांक 14 मई 2013

क्रमांक/3158/भू.अ.प्र.क्र./07/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-डौण्डी
- (ग) नगर/ग्राम-डौण्डी, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1423	0.04
	1424	0.07
	1427/1	0.03
	1428/1	0.05
	1429/1	0.04
	1453	0.05
	1436/1, 1436/3	0.04
	1454/1	0.03
	1454/3	0.01
	1455	0.20
	1437/1	0.08
	1435/1	0.05
	1448/5	0.02
	1454/4	0.01
	1456	0.02
	19	0.04
	1452/1	0.02
योग	17	0.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दल्लीराजहरा रावघाट नई रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बालोद, दिनांक 14 मई 2013

क्रमांक/3160/भू.अ.प्र.क्र./05/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-डौण्डी
- (ग) नगर/ग्राम-अवारी, प.ह.नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.07 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	225/3	0.07
योग		0.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दल्लीराजहरा रावघाट नई रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बालोद, दिनांक 14 मई 2013

क्रमांक/3164/भू.अ.प्र.क्र./01/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बालोद

(ख) तहसील-डौण्डीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम-मरसकोला, प.ह.नं. 31

(घ) लगभग क्षेत्रफल-160.40 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
345/1	0.52
163/17	0.21
163/24	0.08
163/26	0.11
163/31	0.05
163/32	0.06
250/1	0.24
289/3	0.07
227	0.17
158	0.44
358	0.22
239	0.59
402/10	0.22
50	0.36
54	0.13
203	0.59
208	0.04
210	0.43
247	0.75
249	0.08
227	0.32
225	0.11
253	0.41
304	0.61
412	0.13
594	1.34
337/1	0.43
593	0.62
302/2	0.36
302/4	0.04
325/2	0.26
561/2	0.13
346	1.59
298	1.80
36	0.25
204	0.26

(1)	(2)
117/1	2.14
160	0.41
176	1.10
224/1	2.28
415	1.23
163/18	0.16
163/23	0.13
250/2	0.10
289/4	0.05
291	0.37
319	0.07
321	0.38
7/7	0.48
241	0.19
295	0.40
328	0.08
330	0.19
333	0.14
386	2.03
399	0.16
391	0.58
434	0.70
29	0.36
30	0.39
55	0.34
60	0.32
119	0.58
519	0.37
161/1	0.18
217/2	0.06
217/6	0.04
217/9	0.28
217/21	0.04
217/12	0.05
217/15	0.07
217/20	0.04
217/24	0.20
531/4	0.37
7/2	0.07
7/3	0.20
7/4	0.36
7/5	0.48
194	0.24
309/1	0.29
582	0.30
589/1	0.40

(1)	(2)	(1)	(2)
589/3	0.20	316/4	0.14
162	0.84	184	0.35
181	1.26	186	0.47
215	0.28	206	0.71
230	0.13	209	0.58
252	0.70	211	0.25
257	0.47	216/1	0.17
337/2	0.59	246	0.08
531/6	0.67	248	0.16
293	0.31	334/1	0.2
592	0.55	49/5	0.2
317	0.11	49/6	0.14
185	0.38	49/12	0.21
403/2	0.30	182/1	0.31
566	0.18	49/8	0.17
581	0.08	182/4	0.16
310	0.37	172	0.19
416	0.47	183	0.21
49/2	0.11	190	0.41
49/4	0.11	193	0.08
49/11	0.10	196	0.25
182/6	0.14	198	0.58
567	1.59	202	0.13
605/1	0.92	189/1	0.24
377	0.83	195	0.23
370	0.13	189/2	0.06
375	0.68	187	0.59
254/3	0.23	188	0.53
373/3	0.22	214	0.42
373/5	0.3	256	0.12
374	0.08	258	0.77
197	0.27	368	0.2
199/1	0.1	34	0.65
191/1	0.22	156	1.13
192	0.06	159	0.49
254/2	0.16	47	3.36
199/3	0.09	312	0.64
373/4	0.46	532	0.49
406	1.04	33	3.37
49/7	0.29	597	0.52
183/3	0.15	240	0.34
422/2	0.46	387/1	0.17
222/2	0.08	389	0.36
316/3	0.18	390	0.02
560/1	0.6	397/1	0.99
600/1	0.3	49/3	0.21
560/3	0.1		

(1)	(2)	(1)	(2)
49/10	0.09	320	0.04
182/5	0.16	322	0.17
531/2	0.92	292/1	0.15
409	0.19	318	0.06
530	0.02	324	0.14
14/2	0.77	25/1	0.04
161/4	0.04	407/1	0.04
217/1	0.09	411/1	0.08
217/10	0.04	411/3	0.11
217/17	0.05	408/4	0.10
217/23	0.1	408/5	0.16
161/5	0.05	200	0.48
217/3	0.08	580	0.42
217/7	0.09	563	0.22
217/25	0.03	601	0.53
163/11	0.11	602	0.53
163/28	0.17	245	0.31
163/30	0.15	385	0.19
163/33	0.04	433/3	0.26
289/2	0.07	251	0.67
338/2	0.29	336	0.43
178	0.21	339	231
278	0.68	376	0.49
294	1.64	207	0.27
299	1.18	343	0.38
7/10	0.16	344	0.44
7/13	0.21	49/1	0.26
7/6	0.23	49/9	0.32
7/9	0.09	182/2	0.28
7/11	0.1	31	0.6
367	0.56	61	1.52
558	0.76	342/1	0.42
354	0.21	308/1	0.50
365	0.45	348/2	1.69
516	0.13	349	0.10
518	0.42	163/10	0.27
216/2	0.08	163/29	0.34
261	0.64	163/35	0.28
371	0.62	289/6	0.13
341	0.21	338/5	0.29
352	0.32	401/1	0.11
361	0.79	433/4	0.04
515	0.10	433/6	0.05
531/5	0.39	56/1	0.18
205	0.12	163/9	0.32
292/2	0.12	163/13	0.30

(1)	(2)	(1)	(2)
163/21	0.31	163/12	0.11
179	0.18	163/15	0.04
338/6	0.69	163/16	0.15
296	0.41	163/22	0.13
301/1	1.04	163/34	0.17
301/3	0.56	163/36	0.18
347	0.26	180	0.17
437	1.40	289/7	0.18
7/1	0.26	338/4	0.44
7/8	009	401/2	0.13
7/12	0.12	433/1	0.06
13	2.80	433/5	0.03
369	0.10	353	0.17
316/2	0.32	520	1.01
314/1	0.15	522	0.22
326/1	0.11	288/2	0.49
315	0.06	289/5	0.22
28	0.50	405/2	0.08
59	0.11	405/4	0.06
157	0.12	531/8	0.06
260	0.65	405/7	0.13
271	0.28	117/3	1.20
259/2	0.75	224/2	0.40
266	0.33	161/2	0.05
355	1.66	217/4	0.14
360	0.68	217/13	0.04
517	0.31	217/18	0.04
305	0.45	217/22	0.03
332	0.85	398	0.87
311/1	0.11	557	1.15
345/2	0.54	565	0.55
359	0.67	259/1	0.39
161/3	0.05	228	0.19
217/5	0.05	118	0.60
217/8	0.11	220	0.38
217/11	0.04	302/1	0.31
217/14	0.02	302/3	0.08
217/16	0.05	325/1	0.12
217/19	0.19	325/3	0.12
263	0.73	561/12	0.10
163/14	0.04	309/2	0.35
163/19	0.15	528/1	0.50
338/1	0.26	589/2	0.65
364	0.52	222/3	0.20
120	0.19	223	0.67
56/2	0.18	175	0.36
163/8	0.12		

(1)	(2)
51	0.40
308/2	0.55
348/1	0.86
589/2	0.15
342/2	0.40
343/4	0.11
435/3	0.19
523/5	0.09
525/2	0.16
238	0.52
402/1	1.61
403/1	0.19
435/4	0.38
337	0.40
351/1	0.14
351/6	0.09
524/1	0.25
301/1	0.06
331/2	0.06
351/4	0.30
526/1	0.36
300/3	0.06
300/4	0.04
321/1	0.06
351/3	0.18
351/5	0.09
526/2	0.27
259/3	0.38
562	0.44
243/3	0.21
523/2	0.12
525/1	0.26
350/2	0.28
243/2	0.15
435/5	0.19
523/4	0.10
243/1	0.15
350/1	0.30
523/3	0.10
523/1	0.30
525/3	0.19
311/2	0.12
564/2	0.30
303	0.19
564/1	0.09
405/3	0.18
405/8	0.13
531/10	0.11
405/1	0.18
405/5	0.08
531/7	0.11
329	0.30
334/2	0.10
387/2	0.22
397/2	0.28
314/2	0.15
326/2	0.15
250/3	0.14
401/2	0.07
128/45	0.04
373/2	0.15
381	0.11
382	0.06
603	0.16
316/1	0.13
316/5	0.17
600/2	0.24
313	0.82
191/2	0.21
199/2	0.10
201	0.03
254/1	0.19
373/1	0.10
373/6	0.48
योग 466	160.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है मोहड़ जलाशय परियोजना के डुबान क्षेत्र एवं नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी [illegible] अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा (रा.), डौण्डीलोहारा [illegible] के कार्यालय में किया जा सकता है.

बालोद, दिनांक 14 मई 2013

क्रमांक/3166/भू.अ.प्र.क्र./02/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-दल्ली, प.ह.नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-158.65 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
43	0.74
19	0.10
27	0.16
59	0.38
65	0.23
67	0.14
68	0.24
371/2	0.04
578/2	0.01
644/4	0.19
584/2	0.04
771	0.16
18/2	0.56
115/1	0.10
119	0.09
116/2	0.05
117	0.08
325/2	0.05
366/6	0.13
581/3	0.13
585/2	0.04
115/2	0.05
116/3	0.11
118	0.11
366/4	0.03
366/7	0.15
585/3	0.05
519	0.14
327	0.11
364/2	0.25
385/2	0.07
417/2	0.02
537	0.07
735/2	0.34
510/1	0.05
510/3	0.14
66/3	0.07
67/7	0.15
142/2	0.03
333/1	0.09
367/5	0.08
560/4	0.08
561/1	0.06
581/1	0.01
584/1	0.11
604/2	0.06
22	0.04
24	0.19
31	0.10
108	0.08
111	0.11
128	0.10
169	0.23
190	0.21
209	0.19
226	0.05
236	0.05
434	0.10
453	0.02
457	0.02
458	0.04
515	0.43
637	0.10
663	0.80
451	0.02
2/2	0.21
5/4	0.14
83	0.18
88/1	0.23
90	0.09
207/2	0.03
208	0.05
239	0.23
240/3	0.05
320	0.07
440/4	0.07
447/3	0.02
92	0.25
133	1.95
136	0.21
254	0.14
260	0.12

(1)	(2)
273	0.21
322	0.05
331	0.01
446	0.12
589	0.05
25/2	0.02
29/2	0.03
29/4	0.03
109/1	0.01
109/5	0.05
215/3	0.06
228/3	0.01
234/3	0.02
715/1	0.15
715/3	0.09
84/2	0.08
85/2	0.03
89/1	0.04
103/4	0.07
440/2	0.02
302	0.05
311	0.12
489	0.09
310	0.25
490	0.07
492	0.04
38/1	0.20
38/8	0.04
75	0.15
323	0.06
338	1.07
340	0.70
373	0.23
375	0.35
473	0.12
565	0.23
569	0.01
587	0.03
588	0.06
595	0.07
695	0.66
677	0.68
80	0.18
415	0.20
517/870	0.05
98/1	0.31

(1)	(2)
125	0.12
167	0.14
168	0.18
187	0.17
189	0.03
194	0.05
212	0.06
219	0.07
221	0.09
222	0.08
223	0.08
264	0.09
269	0.06
381	0.07
523	0.29
632/1	0.03
573	0.07
15/1	0.73
36/1	1.44
44	0.11
304	0.19
341	1.49
353	0.41
374/1	0.22
376	0.11
341	0.16
586/1	0.05
564	0.04
39	0.59
41	0.18
70	0.13
155/1	0.02
159/1	0.16
157/1	0.29
281	0.25
330	0.09
335	0.21
370	0.06
421	0.25
484	0.05
538	0.23
56	2.2
81	0.14
360	0.22
456	0.2
106/1	0.41

(1)	(2)
377	1.01
438	0.18
550/3	0.02
378	0.06
384	0.21
485	0.03
495	0.65
500	0.03
499	0.06
509	0.33
598/869	0.06
536	0.09
734	0.05
736	0.43
738	0.21
364/1	0.25
385/1	0.08
417/1	0.03
486	0.03
505/1	0.43
502	0.07
510/1	0.24
517	0.03
735/1	0.11
737	0.24
744	0.25
598/868	0.06
133	0.43
139	0.05
174	0.27
176	0.14
204	0.09
250	0.47
259/1	0.13
265	0.05
319	0.11
467/2	0.05
591/2	0.03
768	0.68
761	0.31
767	0.21
66/5	0.3
142/5	0.02
333/5	0.06
367/1	0.08
550/5	0.03
560/1	0.08

(1)	(2)
604/5	0.07
592/1	0.01
105	0.28
122/1	0.14
123	0.07
278	0.18
272	0.16
343	0.09
351	0.16
372/1	0.04
395	0.15
397	0.07
398	0.03
121	0.19
122/2	0.09
182	0.07
183	0.06
184	0.09
316	0.15
271	0.26
321	0.16
342	0.14
344	0.22
350	0.10
354	0.19
372/2	0.02
393	0.16
394	0.18
396	0.17
401	0.15
592/3	0.03
471	0.05
696	0.50
47	0.03
11	0.23
49	0.38
52	0.08
54	0.11
101	0.11
243	0.19
248	0.10
276	0.06
289/1	0.16
393/1	0.13
337	0.12
356	0.05

(1)	(2)	(1)	(2)
482	0.03	604/3	0.06
528	0.07	650	1.25
543	0.54	13/1	0.42
698	0.77	112/1	0.56
743/3	0.52	286/1	0.79
754	0.19	352/1	1.03
758	0.20	439/1	0.03
143	0.28	769/1	0.40
160/1	0.30	203	0.79
572	0.02	66/1	0.07
79	0.13	142/1	0.03
86	0.17	333/4	0.06
568	0.02	560/5	0.08
58	0.51	574	0.02
63	0.26	582/1	0.01
91	0.17	604/1	0.06
102	0.10	93	1.26
277	0.08	575	0.07
292/7	0.19	46	0.05
292/3	0.18	51	0.39
308	0.24	57	0.12
328	0.30	69	0.17
474	0.15	87	0.17
481	0.03	100	0.21
542	0.16	280	0.26
742	0.06	283	0.08
750	1.21	290	0.20
757	0.19	475	0.06
789	0.57	540/2	0.11
14/1	0.36	612/2	0.34
287/1	0.59	72	1.76
691/1	1.12	550/2	0.24
64	0.24	554/2	0.53
371/1	0.07	560/2	0.41
408	1.22	579	0.18
494	0.04	580	0.52
578/1	0.03	582/2	0.01
644/1	0.20	594	0.44
644/2	0.10	598	0.16
64/4	0.37	606	0.39
142/3	0.06	607	0.07
333/3	0.06	647/1	1.07
367/4	0.08	647/4	0.12
550/1	0.04	650/2	1.24
560/3	0.08	9	0.60
561/2	0.07	178	0.15

(1)	(2)	(1)	(2)
202	0.17	568	0.02
386	0.06	586/2	0.05
390	0.12	21	0.04
413	0.24	25/1	0.01
427	0.07	29/5	0.03
435	0.25	32/1	0.03
450	0.11	109/3	0.02
706	0.35	170/2	0.12
712	0.08	215/2	0.05
756	0.15	228/2	0.02
764	0.12	334/2	0.02
66/2	0.21	368/1	0.04
66/6	0.15	460/2	0.01
66/8	0.15	145	0.09
142/4	0.02	150/1	0.01
333/2	0.06	151/1	0.09
367/3	0.08	161	0.04
550/4	0.03	296	0.23
559/1	0.09	347	0.10
560/6	0.08	571	0.02
593	0.08	602	0.20
604/4	0.06	719	0.28
6/2	0.21	728	0.15
10/2	0.13	179/1	0.03
45/2	0.11	179/3	0.02
180/2	0.06	392/3	0.16
200/2	0.11	431/2	0.05
246/2	0.10	431/4	0.04
391	0.08	449/2	0.04
426/2	0.13	704	0.11
430/2	0.05	710	0.71
709	0.06	723/2	0.04
723	0.06	504	0.92
755	0.08	746	0.09
762	0.27	747	0.34
436/2	0.04	749	0.20
703/2	0.21	487	0.03
15/2	0.73	505/1	0.43
36/2	0.94	20	0.07
48	0.56	26	0.05
77	0.46	30	0.22
314	0.58	33	0.12
332	0.66	107	0.11
374/2	0.37	110	0.08
556	0.02	129	0.10
562	0.16	171	0.18
		231	0.07

(1)	(2)
379	0.17
452	0.01
462	0.04
662	0.83
716	0.20
765	0.35
7/1	0.18
306/1	0.16
388/3	0.02
388/1	0.28
429	0.08
432/1	0.07
448/1	0.02
708	0.18
721/1	0.04
760/1	0.15
368/2	0.08
12	0.84
50	0.09
53	0.24
61	0.30
242	0.40
285/1	0.37
291/1	0.12
336	0.10
357	0.09
534	0.15
541	0.06
544	0.17
629	0.40
693	0.62
724	0.35
731	0.22
14/2	0.35
287/3	0.60
368	0.19
439/2	0.20
691/2	1.13
55	0.52
82	0.61
359	0.17
455	0.07
581/2	0.23
7/2	0.19
181	0.14
199	0.27
306/2	0.08
388/2	0.09
432/2	0.08
448/2	0.02
705	0.06
721/2	0.04
760/2	0.15
303	0.19
312	0.39
25/3	0.01
29/1	0.03
29/3	0.03
32/3	0.02
109/2	0.01
109/4	0.04
130	0.10
170/1	0.07
215/1	0.05
228/1	0.02
234/1	0.02
408/1	0.01
638/2	0.04
715/2	0.10
28	0.41
40	0.21
42	0.15
422/1	0.09
6/1	0.21
10/1	0.13
45/1	0.12
180/1	0.06
200/1	0.11
246/1	0.10
387	0.05
426/1	0.13
430/1	0.04
436/1	0.04
703/1	0.21
707	0.09
711	0.10
763	0.13
106/2	0.40
8	0.34
412	0.07
172	0.10
177	0.12
205	0.84

(1)	(2)	(1)	(2)
259/2	0.12	120	0.13
318	0.11	125/1	0.14
591/1	0.03	366/5	0.14
467/1	0.06	366/3	0.07
135	0.41	585/1	0.04
140	0.90	2/4	0.04
146/1	1.43	5/2	0.14
146/2	0.37	103/3	0.03
173	0.41	240/1	0.06
253	0.28	317	0.07
261/1	0.29	440/3	0.02
275	0.09	113	0.33
326	0.06	725	0.14
361	0.09	727	0.27
437	0.17	104	0.92
590	0.07	469	0.02
2/2	0.04	470	0.07
84/1	0.08	98/3	0.08
85/1	0.04	126	0.05
88/2	0.05	197	0.06
89/2	0.04	222/1	0.04
103/1	0.03	224/2	0.02
140/2	0.08	45/3	0.01
447/1	0.01	424/2	0.15
647/2	1.00	633	0.03
648	0.33	94	0.06
649	0.67	95/2	0.03
153/2	0.31	225	0.04
162	0.12	382	0.57
163	0.02	784	0.20
576/2	0.09	165	0.25
74	0.06	166	0.18
76	0.06	2/2	0.04
235	0.01	103/3	0.03
238	0.01	207/1	0.05
298	0.68	440/1	0.02
315	0.14	5/3	0.17
349	0.48	2/3	0.03
577	0.02	2/6	0.04
17	0.73	4	0.04
131	1.18	5/1	0.17
365	0.07	241	0.10
543	0.15	447/2	0.01
770	0.17	95/1	0.29
18/1	0.27	127	0.27
116/1	0.11	227	0.04

(1)	(2)	(1)	(2)
610	0.38	13/2	0.38
454/1	0.01	112/2	0.55
95/3	0.04	286/3	0.79
198	0.13	352/2	1.02
96	0.07	361	0.18
211	0.09	769/2	0.41
216	0.06	772/2	0.15
232	0.08	38/3	0.63
230	0.06	38/6	0.16
262	0.05	38/12	0.08
266	0.08	247/2	0.11
454/2	0.02	297/2	0.18
664	0.37	339/1	0.05
168	0.18	339/4	0.12
97	0.07	358/2	0.04
192	0.04	479/1	0.02
210	0.18	772/2	0.16
217	0.08	38/5	0.20
214	0.08	38/7	0.13
229	0.04	38/9	0.08
263	0.09	38/13	0.07
267	0.17	297/3	0.18
454	0.01	478	0.01
636	0.22	479/2	0.02
505/1	0.30	358/3	0.04
535	0.20	339/5	0.08
741	0.21	772/3	0.17
511/1	0.20	38/2	0.48
511/2	0.20	34/4	0.24
71/1	0.10	38/11	0.17
158/1	0.07	38/14	0.07
282	0.08	247/3	0.11
279/1	0.12	297/4	0.17
284/1	0.14	339/3	0.06
324	0.04	339/7	0.11
329	0.03	358/4	0.04
539	0.12	479/3	0.03
334/1	0.09	772/4	0.17
71/2	0.09	249	0.14
156/1	0.05	309	0.21
188/3	0.09	355	0.04
279/2	0.13	480	0.01
284/2	0.12	483	0.06
334/2	0.11	531	0.09
372	0.06	533	0.08
428	0.05	540/1	0.11

(1)	(2)
692	0.56
694	0.06
753	0.21
759	0.25
742/1	0.06
179/2	0.03
392/1	0.09
449/1	0.01
179/4	0.02
392/2	0.09
431/1	0.02
449/3-5	0.02
221/2	0.14
392/4	0.08
431/3	0.08
201/1	0.14
389	0.03
488	0.05
425	0.12
144	0.09
452/1	0.01
570	0.01
422/2	0.04
271/2	0.08
80/1	0.14
98/3	0.15
128	0.12
187/2	0.09
194	0.05
212	0.06
222/3	0.02
223/1	0.04
264	0.09
381/1	0.03
523/1	0.13
549/2	0.13
632/2	0.04
415/1	0.10
517/1	0.02
98/7	0.07
124	0.12
191	0.04
98/2	0.09
218/2	0.05
224/1	0.02
433	0.03
445/2	0.01
524/1	0.09
213	0.06
224/3	0.04
268/2	0.14
380	0.08
445/1	0.02
योग 830	158.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के डुबान क्षेत्र एवं नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत कुमार खलखो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 17 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06 अ/82 वर्ष 2011-12.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भिनोदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.232 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
623	0.077
601/6, 601/7	0.036
601/1	0.040
554	0.056
596	0.064
553/2	0.037
552	0.032
493/2	0.077
558	0.136
493/1	0.012
491/2	0.016
492	0.040
530/1	0.036
486/1	0.051
493/3	0.016
485	0.081
446/1	0.032
446/2	0.016
494	0.016
445, 444/2	0.049
556	0.036
452/3	0.012
452/2	0.020
486/3	0.008
486/5	0.018
440	0.008
428/1/2क	0.096
428/1/14क, 428/1ख	0.124
योग 28	1.232

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है रायकोना जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 17 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम झुमका
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.915 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
597/1	0.139
596/4	0.045
596/5	0.045
596/3	0.045
596/6	0.076
597/2	0.190
596/7	0.076
596/2	0.045
596/8	0.052
533/2	0.073
625/1	0.085
625/2	0.024
536/1	0.020
योग 13	0.915

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है चारभाठा जलाशय के स्लिप एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 17 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-रायकोना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.300 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1069/3	0.061
	1070/1	0.060
	1070/2	0.060
	1070/3	0.119
योग	4	0.300

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रायकोना जलाशय के डूब में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 17 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-साल्हेवाना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.060 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	547/2	0.057
	761/1	0.036
	762	0.028
	763	0.065
	764	0.053
	765	0.004
	770/2	0.061
	770/11	0.061
	770/8	0.061
	800	0.024
	801	0.028
	802	0.032
	803	0.036
	804	0.053
	807/1	0.036
	807/2	0.028
	807/3	0.012
	816/3	0.093
	817/2	0.024
	823/2	0.004
	823/3	0.049
	823/4	0.061
	823/5	0.069
	824/2	0.028
	825	0.057
	826	
योग	25	1.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- चारभाठा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 21 मार्च 2013

रा.प्र.क्र./10/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-रजपुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.147 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
911/1	0.041
920/1	0.032
1170/1	0.041
1587/1	0.081
1096/3	0.006
1099/2	0.004
1001	0.006
1467/1	0.031
1535/1	0.185
917/1	0.040
920/2	0.015
1171/1	0.069
1084/1	0.004
1097/1	0.024
1437	0.117
1002	0.008
1467/2	0.030
1555/1	0.120
1142/4	0.020
1178/1	0.038
1175/1	0.081
1094/1	0.023
1098/2	0.004
1443	0.032
1102/1	0.028
1450/1	0.073
1554/1	0.084
1594/1	0.004
1179/1	0.021
1080/1	0.060
1096/1	0.007
1100/2	0.004
1083/1	0.028
1103	0.004
1451	0.004
1552/1	0.112
918/1	0.032
1168/1	0.004
1147/1	0.072
1094/4	0.012
1097/2	0.024
1089/3	0.008
1385	0.088
1527/1	0.097
1142/2	0.021
919/1	0.035
1169/1	0.002
1553/1	0.153
1096/4	0.006
1098/3	0.015
1100/1	0.004
1466/1	0.028
1528/6	0.061
1099/1	0.004
योग	2.147

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रजपुरी जलाशय योजना के अन्तर्गत ग्राम रजपुरी योजना के अन्तर्गत मुख्य एवं उपनहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 21 मार्च 2013

रा.प्र.क्र./11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-जामढोढ़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-25.664 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
63	0.102
64/4	0.053
78	0.142
350	0.012
482/2	0.065
487	0.151
489/7	0.405
499	0.292
506	0.045
822	0.113
510	0.081
514/1	0.016
516	0.044
553	0.133
748	0.494
845	0.184
571	0.044
490	0.514
64/5	0.053
82/1	0.244
480	0.166
482/4	0.065
488	1.085
489/8	0.575
500	0.174
512	0.247
829	0.263
570	0.526
515/1	0.056
568	0.051
491	0.793
823	0.141
484/1	0.361
572/1	0.108
64/1	0.056
67/1	0.202
828	0.660
481	0.281
483	0.059
489/2	0.304
492	0.563
508	0.162
517	0.640
504	0.129
744	0.290
513/2	0.012
347	0.016
494	0.061
825	0.559
497/1	0.141
582	0.069
551/3	0.283
68/1	0.943
482/6	0.141
352	0.150
484/2	0.360
489/3	1.647
830	0.380
745	0.138
569	0.263
505	0.425
511	0.837
514/1	0.016
519	0.283
495	0.020
827	0.212
503	0.129
348	0.243
64/2	0.065
70/1	0.169
489/6	0.202
479	0.402
497/2	0.142
489/4	0.809

(1)	(2)
832	0.061
351	0.134
585	0.029
507	0.138
515/4	0.032
515/3	0.053
520	0.482
496	0.036
346/1	0.004
824	0.080
482/5	0.890
64/3	
77	0.012
349	0.085
843	0.047
486	0.080
489/5	0.777
493	0.324
341	0.190
502	0.190
509	0.081
513/3	0.012
515/2	0.316
521	0.021
787	0.081
842/1	0.227
837	0.160
482/7	0.809
योग	25.664

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोटछाल जलाशय योजना के अन्तर्गत ग्राम जामढोढ़ी का मुख्य एवं उपनहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 मई 2013

भू-अर्जन प्र. क्र./05/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-ससकालो
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
23/11	0.040
23/12	0.040
योग	0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करेंया माइनर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सूरजपुर, दिनांक 24 मई 2013

रा.प्र.क्र. 04 अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला सूरजपुर
- (ख) तहसील प्रतापपुर
- (ग) नगर/ग्राम प्रतापपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.40 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	96	0.04
	111	0.04
	112	0.14
	114	0.18
योग	4	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–महाविद्यालय भवन–प्रतापपुर तक पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी, प्रतापपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारती दासन, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	959	0.40
योग	1	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–बैलोदी जलाशय के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप–सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 10 जून 2013

क्रमांक/393/प्र.क्र. 3 अ–82/2011–12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
(क) जिला–दुर्ग
(ख) तहसील–पाटन
(ग) नगर/ग्राम–आमालोरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल–0.40 हेक्टेयर

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप–सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 25 जून 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./09/अ–82/वर्ष 2012–13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
(क) जिला–रायपुर
(ख) तहसील–रायपुर
(ग) नगर/ग्राम–रावांभाठा, प.ह.नं. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल–0.137 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	402/3	0.069
	402/1	0.068
योग	2	0.137

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 200 (नया रा.रा.क्र.-30) 9/6 से 15/6 तक तथा पुराना खमतराई आर.ओ.बी. से भनपुरी से धनेली तक 6-लेन सी.सी. रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-1, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ एवं अध्यक्ष, बायलर अटेन्डेन्ट्स परीक्षक मंडल
जी. ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्रमांक मुनिवा/रिजल्ट/2691/2013.—बायलर परिचर नियम-2011 के प्रावधानों के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी बायलर परिचर (अटेन्डेन्ट) की प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु रायपुर में दिनांक 15 जनवरी से दिनांक 17 जनवरी-2013 को परीक्षा आयोजित की गई. परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित आवेदकों की सूची निम्नानुसार है :—

स. क्र. (1)	अनुक्रमांक (2)	परीक्षार्थी का नाम (3)	पिता का नाम (4)	स्थान (5)
339	199	श्री दीपक शुक्ला	श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला	रायगढ़
340	201	श्री रूपेश कुमार	श्री प्रीतम कुमार चौहान	कोरबा
341	208	श्री लोचन कुमार हंसराज	स्व. श्री संतुराम हंसराज	अकलतरा
342	209	श्री देव कुमार कश्यप	श्री ननकी राम कश्यप	अकलतरा
343	211	श्री मनीष सिंह ठाकुर	श्री केशव सिंह	विश्रामपुर
344	212	श्री शैलेन्द्र कुमार साहू	श्री रामचरण साहू	चांपा
345	214	श्री तिलक राम	श्री गजेन्द्र	अकलतरा
346	222	श्री दिनेश कुमार पटले	श्री तोप राम पटले	रायगढ़
347	224	श्री दिलीप कुमार शर्मा	श्री ब्रज भूषण शर्मा	रायगढ़
348	228	श्री योगेश कुमार चंद्राकर	स्व. श्री नंद कुमार चंद्राकर	धमतरी
349	233	श्री दिनेश कुमार	श्री गोपाल राम हंडन	धमतरी
350	234	श्री बिरेन्द्र कुमार	श्री होरीलाल बैस	धमतरी
351	236	श्री संतोष कुमार मौर्य	श्री लक्ष्मण प्रसाद मौर्य	धमतरी
352	238	श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप	श्री नंद कुमार कश्यप	धमतरी
353	239	श्री चंदन प्रसाद	स्व. श्री रामदयाल पटेल	रायपुर
354	240	श्री पवन कुमार	श्री गंगा सागर मारकण्डे	रायपुर
355	241	श्री देवनारायण आदित्य	श्री छोटे लाल आदित्य	रायपुर
356	242	श्री नारायण प्रसाद	श्री चैतराम	रायपुर
357	243	श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा	श्री बाबू राम वर्मा	रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
358	245	श्री रविन्द्र कुमार महंत	स्व. श्री रूप दास महंत	रायपुर
359	246	श्री संजीव कुमार यादव	श्री शिव चंदर यादव	रायपुर
360	247	श्री लोकनाथ साहू	श्री गैंदु राम साहू	रायपुर
361	248	श्री विजय कुमार वर्मा	स्व. श्री मोहर लाल वर्मा	रायपुर
362	249	श्री जय कुमार साहू	श्री हरिराम साहू	दुर्ग
363	250	श्री संतोष कुमार साहू	श्री अजीत राम साहू	दुर्ग
364	256	श्री कौशल वर्मा	श्री टिकम सिंह वर्मा	रायपुर
365	257	श्री नरेन्द्र वर्मा	श्री राधेश्याम वर्मा	रायपुर
366	258	श्री अशोक कुमार	श्री तिरीथ राम साहू	दुर्ग
367	259	श्री पुरन यादव	श्री नकुल यादव	दुर्ग
368	260	श्री योगेन्द्र कुमार वर्मा	श्री नारायण प्रसाद वर्मा	दुर्ग
369	262	श्री संतोष कुमार	स्व. श्री डी. आर. साहू	दुर्ग
370	267	श्री डोमार साहू	श्री शिव कुमार साहू	दुर्ग
371	268	श्री विरेन्द्र कुमार मेश्राम	श्री चमरू राम मेश्राम	दुर्ग
372	269	श्री जीवन दास साहू	श्री मदन लाल	दुर्ग
373	270	श्री गणेश राम	श्री मोरध्वज	दुर्ग
374	272	श्री ऋशि कुमार	श्री नारायण सिंह साहू	दुर्ग
375	273	श्री हितेश कुमार साहू	श्री इन्दल राम साहू	दुर्ग
376	275	श्री मुकेश कुमार साहू	श्री सिसुपाल साहू	दुर्ग
377	276	श्री भारत लाल बंजारे	श्री लाल सिंह बंजारे	दुर्ग
378	277	श्री सुनील कुमार सोनवानी	श्री मालिक राम सोनवानी	दुर्ग
379	278	श्री टीका राम	श्री पुनारद राम	दुर्ग
380	279	श्री हरेंद्र कुमार सिंग	श्री विशोर सिंह	दुर्ग
381	280	श्री महेश कुमार पाटील	श्री बाबुराव पाटील	दुर्ग
382	281	श्री परदेशी बंजारे	स्व. श्री सुन्दरू बंजारे	दुर्ग
383	282	श्री नवीन कुमार खरे	स्व. श्री बिसरू राम खरे	दुर्ग
384	283	श्री संतोश राम	श्री गया राम	दुर्ग
385	285	श्री संजय साहू	स्व. श्री जोहन राम साहू	दुर्ग
386	286	श्री किशोर कुमार	स्व. श्री नारद राम यदु	दुर्ग
387	296	श्री राजेन्द्र कुमार डिन्डेकर	श्री रामजीवन डिन्डेकर	दुर्ग
388	297	श्री हेमंत यादव	श्री मकुन्द राम यादव	राजनांदगांव
389	299	श्री भेशदास मानिक पुरी	श्री हनुमाद दास मानिक पुरी	राजनांदगांव
390	300	श्री भुपेन्द्र कुमार पटेल	श्री परदेश राम पटेल	राजनांदगांव
391	26	श्री सतीश कुमार जायसवाल	श्री धन्नुलाल जायसवाल	रायगढ़
392	73	श्री डमरूदास महंत	श्री भूपदेव दास महंत	रायगढ़
393	148	श्री संदीप कुमार साहू	श्री चन्द्रमणि साहू	रायगढ़
394	301	श्री संतोश कुमार उके	श्री राजकुमार उके	राजनांदगांव
395	302	श्री अनंत पात्रे	स्व. श्री हीरा पात्रे	कांकेर
396	303	श्री सतीश कुमार अनंत	श्री धनाऊ राम अनंत	कबीरधाम
397	304	श्री जय कुमार बघेल	श्री राम सिंह बघेल	कबीरधाम
398	305	श्री धर्मेन्द कुमार वर्मा	श्री रामाधार वर्मा	कबीरधाम
399	306	श्री मनीष कुमार वर्मा	श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा	रायपुर
400	307	श्री महेन्द्र कुमार वर्मा	श्री टेक राम वर्मा	रायपुर
401	1	श्री दुर्गेश कशेर	श्री इंमाचल कशेर	रायगढ़

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
402	2	श्री छविशंकर यादव	श्री ठाकुर प्रसाद यादव	रायगढ़
403	4	श्री संजय कुमार मनहर	श्री सौखी लाल मनहर	रायगढ़
404	5	श्री रोहित कुमार पटेल	श्री सहस राम पटेल	रायगढ़
405	7	श्री रामनारायण यादव	श्री रामधार यादव	करगीरोड
406	16	श्री कुलेश्वर कुमार देवांगन	श्री बुद्धू लाल देवांगन	रायगढ़
407	17	श्री सुधांशु रंजन	श्री आर. पी. पाटले	कोरबा
408	18	श्री अजय कुमार चौधरी	श्री उसीत राम चौधरी	रायगढ़
409	20	श्री जय प्रकाश यादव	श्री जैतू यादव	रायगढ़
410	22	श्री अनिल कुमार गोंड़	श्री दीप चंद गोंड़	रायगढ़
411	24	श्री राजू सिदार	श्री मोहन लाल सिदार	रायगढ़
412	25	श्री भुनेश्वर साय पैकरा	श्री रघुनाथ साय पैकरा	रायगढ़
413	30	श्री कमल कुमार	श्री दयाराम देवांगन	चाम्पा
414	36	श्री सुदेश कुमार राठौर	श्री केदार नाथ राठौर	रायगढ़
415	38	श्री अनिल कुमार महतो	श्री पुन्यदेव प्रसाद महतो	रायगढ़
416	39	श्री बिरेन्द्र कुमार मेहर	श्री भागीरथी मेहर	रायगढ़
417	41	श्री लोकनाथ पंकज	श्री झाडू राम पंकज	रायगढ़
418	42	श्री ओम प्रकाश पटेल	श्री हरि राम पटेल	रायगढ़
419	43	श्री राकेश कुमार सिदार	श्री उमा शंकर सिदार	रायगढ़
420	44	श्री नोहर लाल साहू	श्री लम्बोदर प्रसाद साहू	रायगढ़
421	45	श्री दूजराम धीवर	श्री बालाराम धीवर	रायगढ़
422	51	श्री रामलाल गोंड़	स्व. छत्तूराम गोंड़	रायगढ़
423	52	श्री राजबल सिंह लोधी	श्री रूपसिंह लोधी	रायगढ़
424	53	श्री कमलेश भारद्वाज	श्री रामाधार भारद्वाज	रायगढ़
425	54	श्री वेदप्रकाश साहू	श्री सुखीराम साहू	कोरबा
426	56	श्री शैलेन्द्र कुमार साहू	श्री अशोक कुमार साहू	कोरबा
427	57	श्री कैलाश कुमार चन्द्रा	श्री झाडू राम चन्द्रा	बाराद्वार
428	59	श्री सुबोध कुमार	श्री रामजी प्रसाद	रायगढ़
429	60	श्री जय प्रकाश बहिदार	श्री शंकर प्रसाद बहिदार	रायगढ़
430	62	श्री राम चन्द्र शुक्ला	श्री संतोष कुमार शुक्ला	रायगढ़
431	64.	श्री संदीप कुमार पण्डा	स्व. सुबल कुमार पण्डा	रायगढ़
432	65	श्री सूरज कुमार साहू	श्री मनहरण लाल साहू	कोरबा
433	66	श्री कृष्णा दास पनिका	श्री धुनी दास पैकरा	कोरबा
434	68	श्री चितरंजन परिडा	श्री भगवान चन्द्र परिडा	रायगढ़
435	70	श्री पुष्पेन्द्र साहू	श्री राधेलाल साहू	रायगढ़
436	71	श्री संतोष कुमार गढ़ेवाल	श्री मनमोहन लाल गढ़ेवाल	कोरबा
437	74	श्री लक्ष्मी कुमार खंडेकर	श्री गंस राम खंडेकर	रायगढ़
438	77	श्री संदीप कुमार राय	स्व. राजेन्द्र राय	रायगढ़
439	78	श्री लक्ष्मी नारायण कश्यप	श्री महेतर लाल कश्यप	चाम्पा
440	79	श्री रमेश कुमार	श्री विश्वनाथ मौर्या	चाम्पा
441	80	श्री पदुम लाल पाण्डेय	श्री शिव चरण पाण्डेय	चाम्पा
442	82	श्री राम कुमार भगत	श्री बुधराम भगत	रायगढ़
443	83	श्री गिरीश कुमार पटेल	श्री भेदराम पटेल	जांजगीर
444	84	श्री भरत लाल देवांगन	श्री जुतिया राम देवांगन	रायगढ़
445	89	श्री राम कुमार राठौर	श्री फिरत राम राठौर	बाराद्वार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
446	90	श्री पूर्णचन्द डनसेना	श्री विनोद डनसेना	रायगढ़
447	92	श्री कृष्ण चन्द्र चौधरी	श्री गजाधर चौधरी	रायगढ़
448	94	श्री चन्द्रकांत पाण्डेय	श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय	कटघोरा
449	97	श्री मदन लाल प्रधान	श्री लोकनाथ प्रधान	रायगढ़
450	98	श्री कोमल प्रसाद साहू	श्री करमू राम साहू	रायगढ़
451	101	श्री योगेश कुमार	श्री सुखी राम सिदार	रायगढ़
452	102	श्री जन्त राम	श्री धनी राम	कोरबा
453	103	श्री श्याम शरण	श्री राम खिलावन साहू	कोरबा
454	105	श्री अजय कुमार पटेल	श्री भोजराम पटेल	रायगढ़
455	106	श्री चन्द्रकान्त साहू	श्री सीताराम साहू	रायगढ़
456	109	श्री सदानंद सिदार	श्री राम लाल सिदार	रायगढ़
457	110	श्री शत्रुघन राठिया	श्री डोलमणी राठिया	रायगढ़
458	113	श्री मन्नू लाल लाठिया	श्री रतीराम लाठिया	कोरबा
459	116	श्री नरेन्द्र सिंह कैवर्त्य	श्री श्याम सिंह कैवर्त्य	कोरबा
460	125	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	श्री मधुसूदन गुप्ता	कोरबा
461	126	श्री जी राम बाबू	स्व. जी रामुलु	रायगढ़
462	127	श्री देव प्रकाश ध्रुव	श्री सुखाई राम ध्रुव	बिलासपुर
463	132	श्री राधेश्याम पाटील	श्री खेलऊ राम पाटील	घरघोड़ा
464	133	श्री चतुर सिंह सिदार	श्री बलीराम सिदार	रायगढ़
465	137	श्री उग्रसेन प्रसाद	श्री चिंता राम	रायगढ़
466	138	श्री भूषण लाल यादव	श्री बालकृष्ण यादव	रायगढ़
467	139	श्री रंजन कुमार	श्री तपेश्वर सिंह	रायगढ़
468	140	श्री भुनेश्वर प्रसाद चन्द्रा	श्री श्याम कुमार चन्द्रा	चांपा
469	141	श्री नरेश कुमार	श्री तिज राम	बिलासपुर
470	144	श्री राजेश गिरी गोस्वामी	श्री विद्यागिरी गोस्वामी	बिलासपुर
471	145	श्री उत्तम कुमार पटेल	श्री जैतराम पटेल	चांपा
472	146	श्री नरेन्द्र कुमार सोनी	श्री शिव शंकर	चांपा
473	147	श्री अंगद राम खाण्डे	श्री भगेला राम खाण्डे	बिलासपुर
474	149	श्री विशाल कुमार बिसेन	श्री मिश्री लाल बिसेन	रायगढ़
475	156	श्री राजेन्द्र कुमार अनन्त	स्व. नर्मदा प्रसाद यादव	कोरबा
476	157	श्री नारद प्रसाद देवांगन	श्री रामचरण देवांगन	चांपा
477	159	श्री चित्र कुमार खुंटे	श्री नारायण प्रसाद खुंटे	चांपा
478	160	श्री लाल खान	श्री अब्दुल रजाक	बिलासपुर
479	161	श्री डोलेश्वर प्रसाद साहू	श्री मंगलू राम साहू	रायगढ़
480	164	श्री पुनीराम निर्मलकर	श्री नारायण निर्मलकर	अकलतरा
481	166	श्री केशव प्रसाद धोबी	श्री शंकर लाल धोबी	रायगढ़
482	167	श्री भागवत प्रसाद राठिया	श्री महेश राम राठिया	रायगढ़
483	168	श्री हिरेन्द्र कुमार साहू	श्री किर्तन लाल साहू	चन्द्रपुर
484	172	श्री पुष्पेन्द्र कुमार पटेल	श्री नंद लाल पटेल	रायगढ़
485	173	श्री सोम प्रकाश निर्मलकर	श्री बोधराम निर्मलकर	बिलासपुर
486	174	श्री रविशंकर	स्व. श्री भगवान सिंग ध्रुव	बिलासपुर
487	175	श्री रमीन पटेल	श्री नृपो राम पटेल	रायगढ़
488	176	श्री आनंद कुमार प्रसाद	श्री राजेन्द्र प्रसाद	रायगढ़
489	177	श्री चित्रसेन नायक	श्री जयनंदन सिंह नायक	घरघोड़ा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
490	178	श्री दादू राम	श्री दऊवा राम खूंटे	कोरबा
491	179	श्री लल्लू सिंह	श्री मन्नू सिंह	बिलासपुर
492	182	श्री नवीन पटेल	स्व. नरहरी पटेल	रायगढ़
493	186	श्री गोपाल पटेल	श्री रूपसिंह पटेल	रायगढ़
494	189	श्री धनेश्वर प्रसाद चन्द्रा	श्री आयोध्या प्रसाद	चांपा
495	190	श्री विनोद कुमार यादव	श्री आरती राम यादव	रायगढ़
496	191	श्री देव नारायण श्रीवास	श्री मनहरण लाल श्रीवास	चांपा
497	192	श्री ओंकार प्रसाद सूर्गे	स्व. नंदराम सूर्गे	कोरबा
498	194	श्री मोहन लाल प्रधान	श्री रामधन प्रधान	कोरबा
499	197	श्री संजय कुमार खाण्डे	श्री संतु राम खाण्डे	कोरबा
500	309	श्री देवेन्द्र कुमार	श्री हरि राम	बेमेतरा
501	310	श्री नीरज कुमार पाण्डे	श्री सम्पूर्णा नंद पान्डे	रायपुर
502	315	श्री नंद कुमार पाल	श्री रतीराम पाल	रायपुर
503	317	श्री ओमेश्वर मूलचंद भगत	श्री मूलचंद सुखराम भगत	रायपुर
504	318	श्री मीना प्रसाद साहू	श्री भोजराम साहू	बलौदाबाजार
505	319	श्री भानू प्रताप साहू	श्री तिलक राम साहू	रायपुर
506	320	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा	श्री उदय राम वर्मा	रायपुर
507	322	श्री रामकिशन वैष्णव	श्री खेलावन दास वैष्णव	अभनपुर
508	324	श्री भागवत कुमार वर्मा	श्री नारायण सिंह वर्मा	बलौदाबाजार
509	325	श्री कृष्ण कुमार पटेल	श्री छेदी लाल पटेल	रायपुर
510	326	श्री अंगद सिंह	श्री पूरण सिंह	रायपुर
511	327	श्री डम्बरू धर नाईक	श्री काशी राम नाईक	रायपुर
512	329	श्री शिव कुमार हरबंश	श्री राम नारायण हरबंश	रायपुर
513	330	श्री राकेश कुमार	श्री पोषण लाल वर्मा	रायपुर
514	332	श्री रामनारायण वर्मा	श्री लक्ष्मण प्रसाद वर्मा	नेवरा
515	333	श्री टुकेश कुमार साहू	श्री बोधन लाल साहू	रायपुर
516	334	श्री गैंदूलाल शिवारे	श्री बिरझू राम शिवारे	रायपुर
517	337	श्री ललन प्रसाद	श्री खेदरन प्रसाद	रायपुर
518	338	श्री समिधापुरी व्ही. राव	श्री प्रसाद राव	रायपुर
519	339	श्री ललित कुमार वर्मा	श्री चंद्र कुगार नर्मा	रायपुर
520	340	श्री जय प्रकाश चतुर्वेदी	श्री सुकचंद चतुर्वेदी	रायपुर
521	341	श्री श्रवण कुमार चंद्राकर	श्री एस. एल. चंद्राकर	महासमुन्द
522	342	श्री ईश्वर प्रसाद साहू	स्व. श्री लखन लाल साहू	रायपुर
523	343	श्री राम कुमार साहू	श्री हरिराम साहू	जांजगीर
524	344	श्री देवकांत बघेल	श्री अश्वनी कुमार बघेल	रायपुर
525	345	श्री नूतन कुमार यादव	श्री टाप राम यादव	रायपुर
526	346	श्री राजेन्द्र कुमार निषाद	श्री बेदराम निषाद	रायपुर
527	349	श्री कमलेश कुमार साहू	श्री चंद्रभान साहू	रायपुर
528	351	श्री बंटी केशंवर सिंह	श्री सुबेदार सिंह	रायपुर
529	352	श्री नागेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	श्री गंगा प्रसाद चतुर्वेदी	रायपुर
530	353	श्री लाला राम रौतेल	श्री चंदू लाल	रायपुर
531	355	श्री अश्विनी कुमार साहू	श्री पुस्तम साहू	सरायपाली
532	357	श्री गौरव कुमार देवांगन	श्री महेन्द्र देवांगन	रायपुर
533	359	श्री कुलेश्वर प्रसाद साहू	श्री फालगो प्रसाद	रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
534	360	श्री योगेश्वर प्रसाद साहू	स्व. श्री इंदल राम	रायपुर
535	363	श्री मनीष कुमार ठाकुर	स्व. श्री महेन्द्र पाल	रायपुर
536	364	मो. शाहिद	मो. शफीक	रायपुर
537	365	श्री भीमसेन बारला	श्री जार्ज बारला	रायपुर
538	366	श्री शंकर लाल पटेल	श्री रामानंद पटेल	रायपुर
539	371	श्री नोहर लाल साहू	श्री दौलत राम साहू	अभनपुर
540	375	श्री टिकेश्वर प्रसाद साहू	श्री हीरा सिंह साहू	रायपुर
541	376	श्री चंद्रमा कुमार शर्मा	श्री विशुनाथ शर्मा	रायपुर
542	377	श्री यशवंत कुमार	श्री के. के. वर्मा	रायपुर
543	378	श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा	श्री भागवत प्रसाद वर्मा	रायपुर
544	379	श्री राजेश कुमार वर्मा	श्री तेजराम वर्मा	रायपुर
545	380	श्री राकेश कुमार चंद्रवंशी	श्री घनश्याम सिंह	रायपुर
546	381	श्री रोहित कुमार साहू	श्री रामनारायण साहू	रायपुर
547	382	श्री सूर्यकांत चंद्राकर	श्री किसलाल चंद्राकर	रायपुर
548	383	श्री सागर चंद्राकर	स्व. श्री चमन लाल	रायपुर
549	384	श्री कमालुद्दीन शेख	श्री तोसलीम शेख	रायपुर
550	385	श्री संजीत कुमार मंडल	श्री प्रहलाद चंद मंडल	रायपुर
551	386	श्री दिनेश कुमार बरगाह	श्री देवला सिंह बरगाह	रायपुर
552	387	श्री ओमप्रकाश वर्मा	श्री खिलावन वर्मा	नेवरा
553	388	श्री सुमित कुमार सिंह	श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह	नेवरा
554	391	श्री हेमलाल टंडन	श्री सुमेरी लाल	तिल्दा
555	392	श्री भानु प्रताप साहू	श्री धनारपम साहू	हिरमी
556	396	श्री अतुल कुमार साहू	श्री मनहरन लाल	बैकुंठ
557	397	श्री नरेन्द्र कुमार	श्री गणेश राम	बैकुंठ
558	398	श्री एस. ईश्वर राव	स्व. श्री एस. अप्पाराव	बैकुंठ
559	399	श्री उमाशंकर	श्री काशीनाथ राम	बैकुंठ
560	293	श्री देवेन्द्र कुमार ढीमर	श्री संतोश कुमार ढीमर	दुर्ग
561	400	श्री ई. मुरली मोहन	श्री ई. लोकनाथ	बैकुंठ
562	403	श्री गगन बिहारी साहू	श्री जगजीवन साहू	महासमुन्द
563	404	श्री रितेश वर्मा	श्री टी. आर. वर्मा	रायपुर
564	406	श्री भुनेश्वर	श्री अरूण कुमार	रायपुर
565	408	श्री देवानंद वर्मा	श्री बिहारी लाल वर्मा	रायपुर
566	410	श्री प्रदीप कुमार मिश्रा	श्री ध्रुव कुमार मिश्रा	रायपुर
567	412	श्री मेघनाथ साहू	श्री दुकालू साहू	तिल्दा
568	413	श्री ललित कुमार वर्मा	श्री इंदल सिंह वर्मा	रायपुर
569	414	श्री रोहित कुमार साहू	श्री सुकुमार साहू	रायपुर
570	417	श्री अरविंद कुमार पाण्डेय	श्री महेश पाण्डेय	रायपुर
571	418	श्री रंजिव कुमार साहू	श्री सुकुमार साहू	रायपुर
572	419	श्री चंद्रेश कुमार	श्री ऋषि कुमार	बैकुंठ
573	420	श्री अनूप कुमार घंटा	श्री एस. के. घंटा	रायपुर
574	421	श्री माधो कुमार	श्री बुधारू राम	रायपुर
575	422	श्री ग्रंथ लाल साहू	श्री वी. पी. साहू	रायपुर
576	423	श्री संजय कुमार वर्मा	श्री जे. पी. वर्मा	तिल्दा
577	424	श्री उदय कुमार	श्री आर. पी. सिंह	रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
578	427	श्री राजेन्द्र कुमार साहू	श्री बोधी राम साहू	बैकुंठ
579	433	श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय	श्री बलदाऊ पाण्डेय	जांजगीर–चांपा
580	439	श्री पन्ना लाल वर्मा	श्री विश्राम सिंह वर्मा	रायपुर
581	442	श्री भुपेन्द्र	श्री कृष्ण कुमार साहू	धमतरी
582	445	श्री शैलेन्द्र सिंह	श्री चन्द्रिका सिंह	रायपुर
583	446	श्री राजेश कुमार सोनपुरे	श्री किशोरी लाल सोनपुरे	रायपुर
584	447	श्री तनेश्वर राम	श्री दयालू राम	रायपुर
585	452	श्री सुनिल कुमार	श्री नोहर लाल	हिरमी
586	453	श्री देव कुमार साहू	श्री सुखी राम साहू	हिरमी
587	454	श्री भुनेश्वर प्रसाद वर्मा	श्री मुरली राम वर्मा	हिरमी
588	457	श्री विनय कुमार	श्री बैसाखू राम	रायपुर

एस. सी. झा
अध्यक्ष,
बायलर अटेन्डेन्ट परीक्षक मंडल.